Shodh International: A Multidisciplinary International Journal (In Hindi)
Vol. 1, Issue – 2015

विशेष आर्थिक क्षेत्र–एक परिचय

(Special Economics Zone-An Introduction)

अवधेश कुमार गुप्ता*

''विशेष आर्थिक क्षेत्र'' की स्थापना करने तथा इसके उद्देश्य एवं प्रभाव को देखते हुये इस गंभीर चिंतन के उपरान्त इन पर नियंत्रण की आवश्यकता तथा सभी स्वरूपों वाले विशेष आर्थिक क्षेत्रों की आवश्यकता उनके अनुकूल रहने वाली बातों को निहित कर ''विशेष आर्थिक क्षेत्र'' अधिनियम का ढाँचा सरकार के द्वारा बनाया गया, अधिनियम में विशेष आर्थिक क्षेत्र की कार्यप्रणाली उनमें स्थापित इकाईयों को ध्यान में रखकर अधिक से अधिक सुविधा एवं प्रोत्साहन उन्हें प्राप्त हो सके ऐसा विचार निर्माण के समय रखा गया, सर्वप्रथम चरण में ''विशेष आर्थिक क्षेत्र'' का विकासकर्ता को सुविधा तथा कम से कम औपचारिकताओं की पूर्ति करवायी जाये लेकिन आवश्यक बातों को अवश्य निहित रखा जाये तो ऐसे अधिनियम के निर्माण पर जोर दिया गया।

अधिनियम के उद्देश्य

विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना से लेकर उसमें किये जाने वाले कार्य अर्थात् जो इकाईयां इसके अन्तर्गत स्थापित की जायेगी उनके कार्यों एवं सुविधाओं में नियंत्रण रखने का उद्देश्य ही अधिनियम निर्माण के उद्देश्य की पूर्ति करता है। अधिनियम के उद्देश्य की व्याख्या निम्न रूप से स्पष्ट की जा सकती है।

1. विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना से लेकर उसके संचालन एवं उसका पूर्ण रख रखाव व विकास सम्बन्धी खातो पर पूर्ण ध्यान व नियमानुसार पालन हो ताकि किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही उसकी कार्यप्रणाली में बाधक न बनें और न ही उनकी अवहेलना हो जो बातें इसमें महत्वता को स्पष्ट करती है ।
2. विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना का प्रथम व मुख्य कार्य भूमि अधिग्रहण से सम्बन्धित है जो लगातार विरोध का कारण भी बना रहा है। अतएव इस कार्य को पूर्ण सावधानी एवं नियमानुसार सम्पन्न करने का उद्देश्य है, ताकि किसी भी प्रकार के पक्षपात व शोषण पर नियंत्रण रखा जा सके।
3. विशेष आर्थिक क्षेत्र के अन्तर्गत कार्यरत इकाईयों के नियमानुसार स्थापना व संचालन का कार्य हो और साथ ही

*Associate Professor, Faculty of Commerce, P.P.N. P.G. College, Kanpur.
E-mail Id: awadheshgupta67@gmail.com

© Eureka Journals 2015. All Rights Reserved. **ISSN: 2581-3501**

उनके कार्यों पर नियंत्रण रखा जा सके, जिससे वह जिस उद्देश्य हेतु स्थापित की गयी है, उसका कार्य पूर्णतयः सम्पन्न हो और वांछित परिणामों की प्राप्ति हो ।

4. आज के युग में समय की महिला को देखते हुये किसी भी प्रकार के विवाद तथा जानकारी व सुविधा एवं औपचारिकता की पूर्ति का कम से कम समय में समाधान होना उधोग के पक्ष में रहता है। अतएव अधिनियम के निर्माण का उददेश्य इकाईयों तथा विशेष आर्थिक क्षेत्रों को एकल खिड़की निस्तारण की सुविधा का भी लाभ देना है।
5. आर्थिक क्षेत्र एवं स्थापित इकाईयों को राजकर संबंधी सुविधाओं अर्थात छूट प्रदान का कार्य का नियमानुसार पालन एवं प्राप्ति का उद्देश्य जिससे किसी प्रकार की त्रुटि एवं कपट की संभावना पर रोक लगायी जा सके।
6. विशेष आर्थिक क्षेत्र को कुछ शक्तियां प्रदान करना जिससे वह लगातार विकास का कार्य कर सके एवं अपनी भूमिका का स्पष्ट रूप से निर्वाह कर सके और अपने अन्तर्गत कार्यरत इकाईयों को अधिक से अधिक मूलभूत ढांचागत सुविधाओं की प्राप्ति करा सकने में सफल हो।
7. विदेशी मुद्रा के उपार्जन के सम्बन्ध में विशेष निगरानी आपेक्षाएं से सम्बन्धित मदों पर विशेष ध्यान आकर्षित करने का उद्देश्य।
8. विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम का उद्देश्य यह भी है कि जितने भी विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापना के प्रस्ताव विकासकर्ता के द्वारा प्रस्तुत किये जायें उन पर अपनी सहमति व असहमति देने का उचित मापदंड दिया जाये साथ ही विकासकर्ताओं को प्रदत्त सुविधा के रूप में इसको स्थापित करने की प्रक्रिया से पूर्ण परिचित हो सके एवं 'विशेष आर्थिक क्षेत्र' के स्वरूप पर निर्धारित सीमाओं तथा मर्यादाओं के पालन हेतु सुविधा देने का उद्देश्य माना गया है।
9. प्रशिक्षित एवं योग्य, अनुभवी विकासाधिकारी द्वारा इस 'विशेष आर्थिक क्षेत्र' का संचालन व विकास हो और वह अपनी देख–रेख के अन्तर्गत इन कार्यों की समीक्षा करेगा एवं प्राप्त सूचनाओं को सरकार को प्रेषित करेगा। इस हेतु नियंत्रण के दृष्टिकोण का उददेश्य अधिनियम के उद्देश्य में दिख रहा है ताकि कोई भी विशेष आर्थिक क्षेत्र अपने पथ से विमुख न हो और न ही नियंत्रण की कमी की वजह से अपने निर्धारित प्रतिफल को प्राप्त करने में असमर्थ हो सके।
10. 'विशेष आर्थिक क्षेत्र' हेतु अधिनियम का निर्माण करने हेतु उद्देश्य यह भी है कि विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति के अन्तर्गत देश की निर्मित कुछ पूर्व अधिनियमों में आज के युग के अनुसार या आज की परिस्थितियों के अनुकूल रहने के अनुसार उन पूर्व के अधिनियमों में पवित्तनीय सुधार किये गये। अतएव इस अधिनियम से संबंध रखने वाले पूर्व के अधिनियमों में किया गया संशोधन का पूर्ण लाभ प्राप्त हो तथा विस्तृत रूप से इनको समझा जा सके. इस हेतु भी अधिनियम का उद्देश्य है ।

© Eureka Journals 2015. All Rights Reserved. ISSN: 2581-3501

11. अधिनियम का उद्देश्य यह भी माना गया है कि एक विकासशील देश के सामने आने वाली आर्थिक विकास की समस्यओं एवं बाधाओं का निवारण करना तथा विकास को गतिमान बनाये रहने हेतु मार्गदर्शन करना ।
12. 'विशेष आर्थिक क्षेत्र' की स्थापना के संबंध से लेकर तथा इन क्षेत्रों के अन्तर्गत कार्यरत इकाईयों एवं उनके स्वामियों तथा कार्यरत समस्त कर्मचारियों जो विशेष आर्थिक क्षेत्र से संबंध रखते हैं, उन्हें किसी दिये हुये आदेश के संबंध में अपनी बात कहने व अपनी अपील करने की शक्ति प्रदान करना तथा विशेष आर्थिक क्षेत्र में अनुशासन बनाये रखने का उद्देश्य भी इस अधिनियम का एक उद्देश्य माना गया है।
13. 'विशेष आर्थिक क्षेत्र' के स्वरूपों के अनुसार तथा जहां ये स्थापित किये जा रहे हैं। उन राज्यों में निर्धारित सीमा के अनुसार कर्मचारियों के स्वास्थ्य एवं जीवन संबंधी चिंताओं को व्यक्त करते हुये तथा उनकी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति का पूर्ण ख्याल रखते हुये क्षेत्र में प्रसंस्करण एवं अप्रसंस्करण क्षेत्र का निर्धारण करने का उद्देश्य। यह उद्देश्य सिर्फ विशेष आर्थिक क्षेत्र के अन्तर्गत कर्मचारियों के प्रति अपनी जीवन सुरक्षा तथा मनोरंजन व पारिवारिक दायित्वों की पूर्ति हेतु इस नीति पर विशेष आकर्षण का बिन्दु माना जा रहा है और औधोगिक लाभ के अतिरिक्त सामाजिक कल्याण की भी पूर्ति इस अधिनियम का एक उद्देश्य माना गया है।

साथ ही भारत जैसे देश में जहां निर्यात संवर्द्धन की आवश्यकता को निम्न कारणों से और अच्छे ढंग से समझा जा सकता है।

(a) भुगतान संतुलन बनाये रखने के लिये
(b) विदेशी ऋण को चुकाने के लिये
(c) विदेशी मुद्रा की दरों में उच्चावचन का सामना करने के लिये
(d) विदेशी बाजार स्थापित करने के लिये
(e) अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा का सामना करने के लिये
(f) निर्यात हेतु तकनीकी व कुशल उत्पादन बढ़ाने के लिये
(g) विदेशी सहयोग बनाये रखने के लिये

यह परम आवश्यक है कि यदि भारत में निर्यात या विदेशी व्यापार संबंधी कोई भी कार्य किया जाये तो उस कृत्य हेतु उचित प्रकार की शासन व्यवस्था का होना स्वाभाविक माना जायेगा , लगभग पूर्व के 60 वर्षों में जो कुछ प्रगति हुई है, वह अपर्याप्त है क्योंकि नीतियों से संबंधित विकास के जो लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं, उनकी सापेक्षित रूप से प्रगति की रफ्तार धीमी थी और इनकी असफलताओं के जो भी कारण थे उनकी पुनरावृत्ति न हो इस उद्देश्य से अधिनियम का निर्माण कार्य किया गया है।

उक्त बिन्दुओं द्वारा स्पष्ट रूप से अधिनियम के उद्देश्यों का चित्रण सामने आता है। जिस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु इसका निर्माण आवश्यक हो जाता है। ताकि नीति को सहज रूप से संचालित एवं नियंत्रण में रखा जा सके क्यों कि कोई भी इतनी विशाल एवं प्रभावशील नीति पर उचित माप दण्ड की आवश्यकता स्पष्ट रूप से

© Eureka Journals 2015. All Rights Reserved. ISSN: 2581-3501

परिलिखित होती है। इसके अभाव में नीति अपने उद्देश्य से विमुख हो सकती है तथा वांछित परिणामों से प्राप्त होने वाले लाभों के स्थान पर दुष्परिणाम का सामना करना पड़ सकता है।

सरकार द्वारा प्रदत्त सुविधाएं (Facilities Provided by Government)

1. **संतुलित आर्थिक विकास (Balanced Economic Development):** राष्ट्र के सामाजिक और आर्थिक असंतुलन को दूर करके ही आर्थिक न्याय सर्वसाधारण को उपलब्ध कराया जा सकता है। उपक्रमों संतुलित आर्थिक विकास हेतु क्षेत्रीय औद्योगिक व व्यवसायिक असमानताओं को समाप्त करना आवश्यक है। निजी क्षेत्र के व्यवसायों व उद्योगों का विकास सुविधा सम्पन्न क्षेत्रों में हुआ है तथा पिछड़े व उपेक्षित क्षेत्रों की और उपेक्षा की गई हैं। क्योंकि निजी क्षेत्र के लिये लाभ सर्वोपरि हैं। पिछड़े व अविकसित क्षेत्रों के विकास का दायित्व स्वतः ही सरकार पर पहुंच जाता है। अतः राष्ट्र के संतुलित आर्थिक विकास हेतु व्यवसाय व उद्योग में सरकार का हस्तक्षेप तथा सरकारी सुविधाओं को प्रदत्त करना अनिवार्य हो जाता है। इसके कारण साधनों की सीमितता के कारण आर्थिक विकास की गति तीव्र करने में सरकार का योगदान आवश्यक हो जाता है।
2. **आर्थिक स्थायित्व (Economics Stability):** आर्थिक अस्थिरता (तेजी व मन्दी काल) उद्योगों व व्यवसाय के लिये घातक है। सरकार उत्पादन, मांग, विनियोग पूर्ति, मूल्य, मौद्रिक आपूर्ति आदि पर नियंत्रण लगाकर आर्थिक स्थायित्व लाने का प्रयास करती है जिससे व्यवसाय व उद्योग पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है। आर्थिक क्षेत्र में सरकारी योगदान के अभाव में तेजी व मन्दी की स्थिति व्यवसाय तथा उद्योगों को नष्ट कर देती है।
3. **राष्ट्रीय सुरक्षा (National Security):** सरकार द्वारा प्रदत्त सुविधाओं से उद्योग तथा सेवा क्षेत्रों के संचालन में स्थायित्व व लाभ की स्थित में देश को आत्मनिर्भर तथा शक्तिशाली बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका रहती जो संपूर्ण राष्ट्र को सुरक्षा प्रदान करने में सहायक सिद्ध होती है।
4. **आर्थिक सत्ता के केन्द्रीयकरण पर प्रतिबन्ध (Restriction on Centralisation of Economic Powcr):** निजी उद्योगपति एकाधिकारी शक्ति के द्वारा सत्ता को केन्द्रीयकरण की स्थिति जो भारत में उत्पन्न हो गयी थी जिससे आर्थिक विषमता बढ़ती है। अतः इन सब दोषों पर रोक लगाने तथा विकेन्द्रीयकरण करने हेतु सरकार की प्रदत्त सुविधाओं का भविष्य में मिलना अनिवार्य माना जा रहा है।
5. **सामाजिक सुरक्षा तथा श्रम कल्याण (Social Security and Labour Welfare):** भारत में उद्योगपति वर्ग सामाजिक सुरक्षा व श्रम कल्याण की उपेक्षा करता है, उसका हित अपने लाभों को अधिकाधिक करने तक ही सीमित होता है। अतः सामाजिक सुरक्षा तथा श्रम कल्याण हेतु व्यवसाय व

© Eureka Journals 2015. All Rights Reserved. ISSN: 2581-3501

उद्योग के क्रिया कलापों में सरकारी हस्तक्षेप आवश्यक हो जाता है। कानून के भय से ही व्यवसायी वर्ग व उद्योग सामाजिक सुरक्षा व श्रम कल्याण की ओर अग्रसर होगें।

6. **कल्याणकारी राष्ट्र की स्थापना (Establishment of Welfare Nation):** आज विश्व के अधिकाधिक राष्ट्रों में कल्याणकारी राष्ट्र की स्थापना की भावना का विकास हुआ है, जिसमें व्यवसाय व उद्योगों के क्रियाकलापों में न केवल सरकारी हस्तक्षेप वांछनीय समझा जाता है बल्कि इनके विकास में सरकार की प्रत्यक्ष भागीदारी भी होती है। राष्ट्रीय सुरक्षा व सामान्य हित, उत्पादन व श्रम के प्रभावों को निर्धारित करना, उत्पादन संसाधनों, सामाजिक लक्ष्यों व अर्थव्यवस्था में संतुलन स्थापित करने का कार्य सरकार द्वारा प्रदत्त योजनाबद्ध सुविधाओं द्वारा ही सम्पन्न किया जा सत्ता है।
7. **संवैधानिक मान्यताओं की पूर्ति (To satisfy the constitutional Requirement):** राष्ट्रीय संविधान के क्रियान्वयन में की गई कल्पनाओं, मान्यताओं व नीति–निर्देशक तत्वों के पालन हेतु जनकल्याण में अभिवृद्धि, मौलिक अधिकारों की वास्तविक प्राप्ति तथा सामाजिक व राजनैतिक व्यय के लिये सामाजिक व आर्थिक क्रियाओं में सरकारी हस्तक्षेप अनिवार्य हो जाता है।
8. **आधारभूत ढांचे का निर्माण (To frame the Infrastructure):** देश के सुदृढ़ व्यवसायिक व औद्योगिक विकास हेतु आधारभूत ढाँचे का सुदृढ़ होना अनिवार्य है। इसमें विद्युत, जल, शक्ति, सिंचाई, परिवहन, बैंकिंग, बीमा, शिक्षा, स्वास्थ, वित्त तकनीकि सहायता व भारी उद्योगों आदि का विकसित होना सम्मिलित है। अतः देश के आधार भूत ढाँचे के सुदृढ़ विकास में सरकार का योगदान अनिवार्य माना जा रहा हैं साथ ही इस योगदान की सुविधा प्राप्त करके उद्योगों तथा सेवा क्षेत्र को विकसित करने का कार्य सम्पन्न हो ऐसी प्रकृति भविष्य में प्रकट होती देखी जा रही है।
9. **विकास प्राथमिकताओं की पूर्ति (To satisfy the Promotional needs):** देश के संतुलित आर्थिक विकास हेतु कुछ प्राथमिकताओं का निर्धारण किया जाता है। पिछड़े क्षेत्रों व जातियों के विकास, धन के वितरण की असमानता में कमी, वस्तुओं व सेवाओं के न्यायोचित वितरण आदि क्षेत्रों में सरकारी योगदान अनिवार्य हो जाता है।
10. **विदेशी प्रतिस्पर्धा से संरक्षण (To Protect from foreign competition):** आज यातायात व संवादवाहन के द्रुत विकास से उपभोक्ता बाजार विदेशी वस्तुओं से तुरन्त भरे जा सकते हैं। जिससे राष्ट्रीय व्यवसाय व उद्योग के विकास को धक्का लगता है। विशेष रूप से अविकसित व विकासशील देशों में, जहाँ उद्योग भी विकास की ओर बढ़ रहे हैं, यदि विदेशी प्रतिस्पर्धा से संरक्षण न दिया जाये तब ये राष्ट्रीय व्यवसाय व उद्योग अधोगति को प्राप्त होगें।

इसके अतिरिक्त किसी नीति के माध्यम से अर्थव्यवस्था के संचालन, सेवाओं के संचालन, अकुशलता पर रोक, संरक्षण, पूंजी

© Eureka Journals 2015. All Rights Reserved. ISSN: 2581-3501

निर्माण को प्रोत्साहन, प्रौद्योगिकी विकास, औद्योगिक आत्मनिर्भरता, विदेशी पूंजी विनियोजन को प्रोत्साहन आदि कारणों से भी व्यवसाय व उद्योग की क्रियाओं में सरकारी सुविधाओं की आवश्यकता भविष्य के भू–मण्डलीयकरण के युग के औद्योगिक वातावरण हेतु अनिवार्य मानी जाने लगी है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची (Reference)

1. Shah, D. K. (2009). Special economic zones in India: a review of investment, trade, employment generation and impact assessment. Indian Journal of Agricultural Economics, 64 (902-2016-67867).
2. Soundarapandian, M. (Ed.). (2012). *Development of Special Economic Zones in India: Policies and issues* (Vol. 1). Concept publishing company.
3. Moberg, L. (2015). The political economy of special economic zones. Journal of institutional economics, 11(1), 167-190.
4. Levier, M. (2011). Special economic zones and accumulation by dispossession in India. Journal of Agrarian Change, 11(4), 454-483.
5. Jenkins, R., Kennedy, L., & Mukhopadhyay, P. "Power, Policy and Protest: the politics of India's special economic zones". Oxford University Press. (2014).
6. Banerjee-Guha, S. (2009). Contradictions of enclave development in contemporary times: Special economic zones in India. Human Geography, 2(1), 1-29.
7. Palit, A. (2009). Growth of special economic zones (SEZs) in India: issues and perspectives. Journal of Infrastructure Development, 1(2), 133-152.
8. Seshadri, T., "*The Political Economy of Special Economic Zones in India*", George Mason University, (2011).
9. Lakshmanan, L. (2009). Evolution of special economic zones and some issues: The Indian experience. RBI Staff Studies.
10. Singh, J., "Implications of Special Economic Zone (SEZ) in Haryana", LAP Lambert Academic Publishing, (2014).

© Eureka Journals 2015. All Rights Reserved. ISSN: 2581-3501